न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2022/310

1. अक्षयदीप माथुर पुत्र स्व. श्री ए.एस.माथुर, बहैसियत एकल प्रोपराइटर सेरेमिक एण्ड एलाइड मिनरल्स जयपुर, निवासी श्रीराम निकेतन, सी–10, न्यू कॉलोनी जयपुर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार पावटा, तहसील पावटा, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत टोरडा गूजरान, पंचायत समिति पावटा, तहसील पावटा, जिला जयपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पावटा, तहसील पावटा, जिला जयपुर।
4. अधिक्षण खनिज अभियन्ता, जयपुर वृत्त जयपुर, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रारूपिक रेस्पॉडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा संभावित दिनांक 22.11.2021 जिसके द्वारा खनन पट्टा एमएल–2/67 की भूमि खसरा नम्बर 940 रकबा 2.82 हैक्टे. में से अवैधानिक रूप से 1.00 हैक्टे. भूमि को राजकीय कार्यालय हेतु पृथक (सेट अपार्ट) किया गया।

उपस्थित–

1. श्री संजय शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री नरपत सिंह शेखावत, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 व 3 की ओर से
4. रेस्पो. नं. 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक –12.12.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 22.11.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मियाद अधिनियम दफा 5 भ.प.अधि. के साथ दिनांक 14.06.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान पंचायत समिति पावटा की ग्राम संभा दिनांक 11.11.2021 में पारित प्रस्ताव संख्या 13 के द्वारा ग्राम टोरडा गुजरान तहसील पावटा जिला जयपुर स्थित खसरा न0 940 रकबा 2.82 हैक्ट0 में से 1.00 हैक्ट0 किस्म बंजड भूमि राजकीय राजकीय कार्यालय हेतु आरक्षित किये जाने की मांग किये जाने पर तहसीलदार पावटा ने प्रस्ताव तैयार कर प्रशसन गांवों के संग 2021 में ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान में दिनांक 22.11.2021 को आयोजित शिविर में भिजवाया गया। उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 एवं राजस्व (ग्रुप 6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प–3 (17)राज.6/2021/89 दिनांक 30.09.2021 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में ग्राम दूदावास के खसरा नम्बर 940 रकबा 2.82 है0 भूमि में से 1.00 है0 किस्म बंजड भूमि को राजकीय कार्यालय हेतु पृथक (सेट अपार्ट) करने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 22.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट अक्षयदीप माथुर पुत्र स्व. श्री ए.एस. माथुर द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मियाद अधिनियम दफा 5 भ.प.अधि. के साथ

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर दिनांक 22.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 80 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात असल/सत्यप्रतिलिपि नहीं होने के कारण रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 80 भू राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है।

5. वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि राजस्व ग्राम दूदावास, पटवार हल्का टोरडा गूजरान, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र टसकोला, तहसील पावटा, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 940 रकबा 2.82 हैक्टेयर भूमि अपीलार्थी के आधिपत्य एवं खनन पट्टे हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त एकल स्वामित्व की सम्पति है, जिस पर खडिया मिट्टी का प्रोसेसिंग प्लांट वर्ष 1968 से स्थापित है। दिनांक 17.2.1968 को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा अपीलार्थी के पिता स्व. श्री ए.एस. माथुर को खनन पट्टा एमएल–2/67 राज्यादेश क्रमांक प–3(1) (153)उद्योग/वी/67 दिनांक 17.2.1968 क्षेत्रफल 80.64 हैक्टे. वास्ते खनिज क्वार्टज, फेल्सपार एवं क्ले, नई ढाणी पटवार हल्का दूदावास, टोरडा गुजरान, तत्कालीन तहसील कोटपूतली, हाल तहसील पावटा, जिला जयपुर में आंवटित व स्वीकृत की गई है। अपीलार्थी के पिता श्री ए.एस.माथुर का स्वर्गवास होने के पश्चात अपीलार्थी के नाम उक्त खनन पट्टे का विधिवत नामांतरकरण स्वीकृत किया जा चुका है तथा दिनांक 17.2.1968 को आंवटित लीज (पट्टे) का नवीनीकरण राज्यादेश क्रमांक प–2(1) (402)खान/ग्रुप–2/88 दिनांक 20.04.1992 क्षेत्रफल 80.5212 हैक्ट. एवं राज्यादेश क्रमांक एम एल 2/(5/87आर) को दिनांक 31.3.2030 तक नवीनीकरण किया जाकर अपीलार्थी वर्तमान पट्टाधारी एकल प्रोपराईटर के नाम नामान्तरकरण अंकित कर दिनांक 5.1.2022 को राज्य सरकार एवं पट्टाधारी के मध्य पंजीकृत एम.ओ.यू. का निष्पादन भी हो चुका है। अपीलार्थी साधिकार अपने स्वामित्व की उपरोक्त वर्णित लीजशुदा भूमि पर काबिज होकर खनन धृत करता चला आ रहा है। अपीलार्थी के आवेदन पर राजस्थान राज्य सरकार खान ''ग्रुप 2 विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 7(17) खान/ग्रुप/2/2002 की अनुपालना में सहायक खनिज अभियंता खान व भू–विज्ञान विभाग कोटपूतली के पत्र क्रमांक सखम/कोट/अप्र–बी/2/778 दिनांक 14.2.2020 की अनुपालना में तहसीलदार पावटा, जिला जयपुर ने उक्त खनन पट्टा क्षेत्र को राजस्व नक्शे पर अमल दरामद कर लीज भूमि को राजस्व नक्शे में चिन्हित कर उसकी चारों सीमाओं का निर्धारण भी राजस्व नक्शे में कर दिया है उक्त चिन्हित भूमि को वर्तमान जमाबंदी में राज्य सरकार की खातेदारी से कम कर प्रार्थी के नाम अंकित करने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है। ग्राम पंचायत टोरडा गूजरान, पंचायत समिति पावटा, तहसील पावटा द्वारा दिनांक 11.11.2021 को अपीलार्थी को सूचित किये बिना एवं पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना ही ग्राम सभा में एक प्रस्ताव संख्या 13 पारित करते हुए विवादित भूमि को राजकीय कार्यालय हेतु आरक्षित किए जाने की मांग का प्रस्ताव पारित कर लिया और उक्त प्रस्ताव करने के उपरान्त भी अपीलार्थी को सूचित नहीं किया गया। अपीलाधीन आदेश की अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी हाल ही में राज्यादेश क्रमांक प.3(8)राज–3/96 दिनांक 17.01.2002 के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर माईनिंग लीज एमएम2/67 (5287) के तहत अपीलार्थी के स्वामित्व की कुल 80.5212 हैक्टैयर भूमि को राजस्व भू–अभिलेखों यथा जमाबन्दी में अंकित किये जाने के दौरान खसरा नम्बर 940 रकबा 2.82 हैक्टेयर भूमि में से 1.00 हैक्टेयर भूमि कम कर उसका नवीन नम्बर 1056/940 रकबा 1.00 हैक्टेयर राजकीय कार्यालय हेतु आरक्षित किये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर उक्त नामान्तरकरण संख्या 872 दिनांक 3.12.2021 एवं चालू जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गयी दिनांक 24.05.2022 को उक्त नकले प्राप्त होने पर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु उसी दिवस को आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 1.6.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई और जानकारी के दिन से अन्दर मियाद यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील को जानकारी के दिन से अन्दर मियाद शुमार फरमाया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने विधि के समस्त सुस्थापित सिद्धान्तों को जान–बूझकर अनदेखा करते हुए अपने निहित क्षेत्राधिकार का आंकलन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो न्याय प्रशासन एवं न्याय प्रणाली के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर दिनांक 22.1.2021 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स नं. 1 व 3 के योग्य राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान पंचायत समिति पावटा की ग्राम सभा दिनांक 11.11.2021 में पारित प्रस्ताव संख्या 13 के द्वारा ग्राम टोरडा गुजरान तहसील पावटा जिला जयपुर स्थित खसरा न0 940 रकबा 2.82 हैक्ट0 में से 1.00 हैक्ट0 किस्म बंजड भूमि राजकीय राजकीय कार्यालय हेतु आरक्षित किये जाने की मांग किये जाने पर तहसीलदार पावटा ने प्रस्ताव तैयार कर प्रशसन गांवों के संग 2021 में ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान में दिनांक 22.11.2021 को आयोजित शिविर में भिजवाया गया। उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 एवं राजस्व (ग्रुप 6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प–3 (17)राज.6 / 2021 / 89 दिनांक 30.09.2021 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में ग्राम दूदावास के खसरा नम्बर 940 रकबा 2.82 है0 भूमि में से 1.00 है0 किस्म बंजड भूमि को राजकीय कार्यालय हेतु पृथक (सेट अपार्ट) करने के आदेश दिये गये। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान पंचायत समिति पावटा की ग्राम संभा दिनांक 11.11.2021 में पारित प्रस्ताव संख्या 13 एवं तहसीलदार पावटा की रिपोर्ट अनुसार ही ग्राम दूदावास के खसरा नम्बर 940 रकबा 2.82 है0 भूमि में से 1.00 है0 किस्म बंजड भूमि को राजकीय कार्यालय हेतु पृथक (सेट अपार्ट) करने के आदेश दिये गये। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। जिससे जाहिर है कि अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान पंचायत समिति पावटा की ग्राम संभा दिनांक 11.11.2021 में पारित प्रस्ताव संख्या 13 के द्वारा ग्राम टोरडा गुजरान तहसील पावटा जिला जयपुर स्थित खसरा

न0 940 रकबा 2.82 हैक्ट0 में से 1.00 हैक्ट0 किस्म बंजड भूमि राजकीय राजकीय कार्यालय हेतु आरक्षित किये जाने की मांग किये जाने पर तहसीलदार पावटा ने प्रस्ताव तैयार कर प्रशसन गांवों के संग 2021 में ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान में दिनांक 22.11.2021 को आयोजित शिविर में भिजवाया गया। उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 एवं राजस्व (ग्रुप 6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प–3 (17)राज.6/2021/89 दिनांक 30.09.2021 के अन्तर्गत प्रदत्त ाक्तियों के अनुसरण में ग्राम दूदावास के खसरा नम्बर 940 रकबा 2.82 है0 भूमि में से 1.00 है0 किस्म बंजड भूमि को राजकीय कार्यालय हेतु पृथक (सेट अपार्ट) करने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2021 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश हैं कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर दिनांक 22.11.2021 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 12.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर